ºÉSÉxÉÉ BÉÉÉ +ÉÉvÉBÉÉÉ® +ÉÉvÉÉxÉªÉàÉ, 2005

(2005 का अधिनियम संख्यांक 22)

ºÉSÉxÉÉ BÉÉÉ +ÉÉvÉBÉÉÉ® +ÉÉvÉÉxÉªÉàÉ, 2005

प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिए, लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यवहारिक शासन पध्दति स्थापित करने, एक केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग का गठन करने और उनसे संबंधित या उनसे अनुांगिक वियों का उपबंध करने के लिए अधिनियम । निर्यात निरीक्षण परिाद और इसके अभिकरणों में सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित सूचना निम्नलिखित हैं ;

(i) संगठन की विशिटियां, कृत्य और कर्तव्य,

(ii) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य

(iii) विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं,

(iv) अपने कृत्यों के निवर्हन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान,

(v) अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निवर्हन के लिए प्रयोग किए गए नियम विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख,

(vi) किसी व्यवस्था की विशिटियाँ, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं,

(vii) ऐसे बोर्डों, परिादों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरुप में या इस बारे में सलाह देने के लिए प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिादों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहजुंच होगी, विवरण

(viii) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

(ix) अपने प्रत्येक अण्धिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अंतर्गत प्रतिकर की प्र णाली भी है जो उसके विनियमों में यथाउपबंधित हो,

(x) सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टो की विशिटियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट,

(xi) सहायिकी कार्यक्रमों के निपादन की रीति जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं,

(xii) अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिटियां,

(xiii) किसी इलैक्ट्रानिक रुप में सूचना के संबंध में ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों,

(xiv) सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागिरकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिटियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक अपयोग के लिए अनुरक्षित हैं तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं,

(xv) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और विशिटियां,

(xvi) ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए,

(xvii) प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के नाम, पदनाम और अन्य विवरण

(xviii) शुल्क ढांचा

(xix) आवेदन प्रपत्र